26 2/21

(2)

अधि० वादी व पेशकार सरकार उप० बहस समाप्त की गई। वादीगण की अधि० बहस व पेशकार सरकार की बहस मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रही।

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1233 रकबा 1:00 बीघा किस्म गै.मु. पाल वाके ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह में स्थित है। जो वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी दर्ज चली आ रही है उक्त साबिक खसरा नम्बरान के बाद सेटलमेन्ट हाल आराजी ख.नं. 1522/4579 रकबा 0.13 हे० किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया जो गलत है। उक्त आराजी का कभी गै.मु. रास्ता के रूप में उपयोग में नहीं आया है। साबिक रिकार्ड में उक्त आराजी की किस्म गै.मु. पाल दर्ज थी व हाल रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया जो सेटलमेन्ट वालों ने बिना वादीगण को सुने, बिना कोई नोटिस दिये, एवं प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है भू-प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकार से परे जाकर रिकार्ड हाल में जो परिवर्तन किया है वह गलत है।

Ruley

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जाब
	अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी बाबत इन्द्राज दुरुस्ती डिक्री फरमाया जाकर आ. ख. नंबर 1522/4579 रकबा 0.13 है० वाके ग्राम भगवानपुरा की किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर साबिक रिकार्ड अनुसार गै.मु. पाल दर्ज किया जाकर दुरुस्ती इन्द्राज फरमाया जावे। बाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक ख. नं. 1233 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै.मु. पाल मार्फत पि० गंगाराम धाकड़ निवासी भगवानपुरा के नाम रिकार्ड दर्ज था। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त साबिक ख.नं. 1233 के हाल ख.नं. 1522/4579 गै.मु. रास्ता दर्ज है। साबिक रिकार्ड में आराजी उक्त की किस्म गै.मु. पाल दर्ज थी तथा हाल रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया गया है इसी आशय की रिपोर्ट पटवारी हल्का की है। प्रकरण में पटवारी हल्का व भू.अ.नि. से मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें अंकित किया कि मौके पर उक्त खसरा नम्बर में से कोई रास्ता नहीं है मौके पर खेत से ऊंची पाल बनी हुई है उक्त ख.नं. 1522/4579 जो कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है मौके पर उक्त ख.नं. की दक्षिणी, पश्चिमी मेड़ पर तारबन्दी हो रखी है तथा उत्तरी मेड़ पर भी बीच में जगह छोड़कर तारबंदी कर रखी है उक्त तारबंदी खसरा नम्बर 1522/4579 में ही हो रखी है उक्त प्रकार तारबन्दी के अन्दर जो रास्ता निकल रहा है वह खसरा नम्बर 1522/4579 में है तारबंदी के बाहर भी उक्त नम्बर की जमीन है। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में	Ruby

मील क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नकल जमाबंदी सम्बत् 2074-77 खाता नं. 34 भगवानपुरा (आबू) प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्बत् 2036-2039 प्रदर्श 3, सम्बत् 2050-2069 प्रदर्श 4 पेश किये तथा बयानात मुकेश पुत्र बजरंगा जाति चाकड़, रामअवतार पुत्र नारायण, प्रेमचन्द पुत्र जवाहर चाकड़, सीताराम पुत्र हरजी चाकड़ के करवाये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया।

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1233 रकबा 1.00 बीघा मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2036 से 2039 प्रदर्श 3 के अनुसार अन्य आराजियात के साथ नारायण वगैरा पि. गंगाराम जाति चाकड़ सा. भगवानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसकी किस्म मुताबिक रिकार्ड प्रदर्श 3 के अनुसार गै.मु. पाल दर्ज थी दौराने सेटलमेन्ट उक्त साबिक ख.नं. 1233 रकबा 1.00 बीघा का हाल ख.नं. 1522/4579 रकबा 0.13 है० बना है जोकि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 से बखूबी प्रमाणित है, जिसे हाल रिकार्ड में मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2074-77 प्रदर्श 1 के खातेदार नारायण वगैरा के नाम खातेदारी में अन्य खसरा नम्बरान के साथ दर्ज कर दिया लेकिन साबिक ख.नं. 1233 किस्म गै.मु. पाल की हाल राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 1522/4579 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया है जिसकी दुरुस्ती हेतु वादीगण उक्त वाद लेकर आये है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, रिपोर्ट भू.अ.नि. व पटवारी हल्का के अनुसार वादग्रस्त आराजी की किस्म गै.मु. पाल थी जिसे भू-प्रबन्ध के दौरान गै.मु. रास्ता दर्ज कर Rudey

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	किया जाना बताकर वादी दुरुस्ती करवाकर हाल रिकार्ड में साबिक के अनुसार आराजी की किस्म गै.मु. रास्ते से वापस गै.मु. पाल दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से जाहिर हैं कि साबिक रिकार्ड में जिस आराजी की किस्म गै.मु. पाल दर्ज थी उसे भू-प्रबन्ध द्वारा गलत तौर पर गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया है जो कि प्रकरण दुरुस्ती योग्य है। अत: बाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1522/4579 रकबा 0.13 है० वाके ग्राम भगवानपुरा (भापु) की किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर गै.मु. पाल दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दिनांक 26/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Ruby उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह (टोंक)